

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा [आर.ए.एस.]  
प्रकरण संख्या : 52/2019

1. भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर ।  
--प्रार्थी--

बनाम

1. निर्मल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर ।  
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर ।

--अप्रार्थीगण --



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

--निर्णय--

दिनांक : 5/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 24 ओ भुट्टीवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता स. 109/43 के मु.न. 63 व मु. न. 133/41 की कुल 2.075 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, व इसी चक के खाता संख्या 110/97 के मु.न. 101 की कुल 2.0750 हैक्ट. नहरी भूमि, दोनो खातो की कुल 4.150 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रकबा जमाबन्दी में जरिए वसीयत नामन्तरण संख्या 216 वादी के नाम दर्ज हुआ वादी का वास्तविक नाम हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी भुट्टीवाला हाल गांव शाहपिनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ है। वादी का राशन कार्ड संख्या 00753, आधार कार्ड नं. 224368803423, पहचान पत्र संख्या आर जे/01/005/049727 मुल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक 97 व टी सी प्रमाण पत्र कक्षा 9 वीं में वादी का वास्तविक नाम हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित है। विधान सभा क्षेत्र श्री करणपुर नामावली में भी नाम हरभजन सिंह दर्ज है। वादी के नाम चक 15 एमजेडी तहसील संगरिया गांव शाहपिनी के खाता संख्या 117/49 के मु.न. 24 व 25 में 0.632 हैक्ट. भूमि वादी हरभजन सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प भुट्टीवाला जून माह में लिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद पत्र में राज्य सरकार से अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सम्पत्ति में संयुक्त खातेदार है, इस कारण उनको वादपत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 1 संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 24 ओ भुट्टीवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 109/43 व इसी चक के खाता संख्या 110/97 में मु.न. 63 में 2.075 हैक्ट. नहरी मय खाल भूमि व मु.न. 101 में 2.075 नहरी भूमि रकबा के सम्बन्ध में जमाबन्दी में वादी का नाम भजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर हाल शाहपिनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ घोषित किये जाने के आदेश दिये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आया व सहमति जवाब दावा पेश किया गया। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

19

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 24 ओ भुट्टीवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 109 व 110 में अंकित नाम भजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र टीसी फार्म, में नाम हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह अंकित है। जमाबन्दी में नाम भजन सिंह अंकित हैं। सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 ओ भुट्टीवाला की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 109/43 व इसी चक के खाता संख्या 110/97 में मु.न. 63 में 2.075 हैक्ट. नहरी मय खाल भूमि व मु.न. 101 में 2.075 नहरी भूमि रकबा में अंकित नाम भजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर हाल शाहपिनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुतर रहेगे। आदेश इस आशय का जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*रिना*

{श्री मती रीना छिम्पा आर.ए.एस.}  
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर